ANKIT
Page No.
Date

R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer - Naresh ji Anand
L.L.B. Part - IInd
Paper - 1st
Muslim Law (Family Law)

इस्लाम में बहुपत्नीत्व एक विवेचन :-

आम धारणा है कि मुसलमानों को उनका धर्म चार विवाह करने की अनुमति देता है और अधिकतर मुसलमान अपनी गैर इच्छा और लालसा की पूर्ति हेतु ऐसा करते हैं। यह एक गलत धारणा है। न तो इस्लाम बहुपत्नीत्व का पक्षधर है और नहीं आम मुसलमान घर में एकसाथ चार पत्नियों रखना पसंद करते हैं।

इस्लाम में एकपत्नीत्व सामान्य नियम है और बहुपत्नीत्व अपवाद है। कुरान का आदेश है - "दो तीन या चार जितनी तुम्हें अच्छी लगें उतनी औरतों से शादी करो, परन्तु यदि तुम्हें डर हो कि तुम उन सब के साथ न्याय नहीं कर सकोगे, तो केवल एक ही के साथ ब्याह करो, — यही अधिक उचित है ताकि तुम सही मार्ग से भटक न जाओ।" — कुरान 4:4 और तुम्हारे वश में नहीं है कि तुम सभी पत्नियों के साथ एक जैसा न्याय करो भले ही तुम यही कामना करते हो, किन्तु तुम एक से दूर न रहो

(2)

उससे सम्पूर्ण घृणा न करो और न ही उसे शंकाग्रस्त छोड़ो" — कुरान 5:4

कुरान की इन आज्ञाओं को इस्लाम पूर्व की अरब प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन प्रथाओं के अनुसार पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। इस्लाम ने इसे चार पर सीमाबद्ध किया तथा एकपत्नीत्व को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया।

कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुपत्नीत्व को अपरिहार्य बनाते हैं—

व्यक्तिगत कारक :-

यदि पत्नि बाँझ है, स्थायी रूप से बिमार है, सहवास के लायक नहीं है, तो एकपत्नीत्व के अनुयायी के लिए जो विकल्प उपलब्ध है वे इस प्रकार हैं :-

(1) या तो ऐसी पत्नी को तलाक दे, या
(2) उस पत्नी की मृत्यु की राह देखे, या
(3) अपनी सहवास या संतान की इच्छाएँ त्याग दे।

क्या हम स्त्री को छलने अथवा असहाय पत्नी को परित्यक्त करने के स्थान पर दूसरी पत्नी लाना अधिक पसंद नहीं करेंगे? यदि एक और पत्नी लाने की अनुमति न हो तो जोसेफाइन और सुरैया की कुरबानिकाओं की ही पुनरावृत्ति होगी।

इस्लाम में बहुपत्नीत्व की प्रथा केवल उपचारात्मक कदम है जो आपातकाल में अथवा विशिष्ट परिस्थिति में लिया जाता है।

Scanned with CamScanner

जैविकशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक कारक :-

कुछ व्यक्तियों में अन्य के अपेक्षा अधिक तीव्र काम-वासना होती है। इनके लिए बहुपत्नीत्व आवश्यक होती है। यही एक मार्ग है जिससे जारकर्म, वेश्यावृत्ति एवं अनेक प्रकार के लैंगिक अपराध को रोका जा सकता है।

बहुपत्नीत्व प्रथा का विकास किसने किया ?:-

इस्लाम ने बहुपत्नीत्व की प्रथा को जन्म नहीं दिया। अपितु इसके विस्तार पर रोक लगायी और इसे अपवाद स्वरूप उपयोग में लाने का साधन बनाया।

अतः यह मानना की बहुपत्नीत्व प्रथा को इस्लाम के पैगम्बर ने प्रारम्भ किया और वैध बनाया - एक अक्षम्य भूल होगी। उसने असीमित विवाह की प्रथा पर रोक लगायी और सामान्य नियम एकपत्नीत्व बनाकर अपवाद के रूप में बहुपत्नीत्व को स्वीकार किया।

योग्य मार्ग :-

इस सम्बन्ध में अधिकतम यही किया जा सकता है कि जिस मूल संभावना के साथ इस्लाम ने बहुपत्नीत्व को स्वीकार किया उसका पालन किया जाय। दूसरी तथा अधिक शादी की संविदा करने की क्षमता को कुछ विधायी बन्धनों तथा सीमाओं के अधीन बनाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

बहुपत्नीत्व प्रथा पर न्यायविदों के विचार :-

भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली में 1972 में मुस्लिम स्त्री विधि पर एक संगोष्ठी में बहुपत्नीत्व विषय पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गये थे। पश्चिम के मुस्लिम विधि के अग्रणी व्याख्याता- जे० एन० डी० एंडरसन का मत था कि पति के एकतरफा अबाधित तलाक अधिकार के चलते बहुपत्नीत्व प्रथा पर यदि पूरी रोक लगा दी गयी तो यह एक पीछे की ओर जाने वाला कदम होगा। कारण जो पुरुष पुनः शादी करने का पक्का इरादा कर लेगा उसे पहली पत्नी को तलाक देना ही पड़ेगा। इसलिए पहली पत्नी के हित में बहुपत्नी विवाह को चलते रहने दिया जाय।

कुछ समय पूर्व एक सामाजिक विधिक अध्येता ने लिखा है कि उसने मुस्लिम विधि में सुधार इस विषय पर एक प्रश्नावली विनिर्दिष्ट की थी जिसके उत्तर में एक व्यक्ति ने लिखा है यदि बहुपत्नीत्व प्रथा को निषिद्ध नहीं किया जाता है तो इस पर अधिक कठोर नियंत्रण लगाने ही चाहिए। ऐसा विवाह केवल अति विशिष्ट परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकृत करना चाहिए और वह भी पहली पत्नी के अनुमति से।

Scanned with CamScanner